



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

F57768

दिनांक
Date

पंजीकृत

23-3-15

सी-1/एनओसी-965/2015

सेवा में,

मै0 रतन बिल्डटेक प्रा0लि0,
ए-128, सेक्टर-63,
नोएडा।

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0 एफ-57620/सी-1/एनओसी-965/2015 दिनांक 19.3.15 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से परियोजना मै0 "रतन प्लूटो", जीएच-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आप द्वारा पत्र दिनांक 23.3.15 के माध्यम से सूचित किया गया है कि परियोजना का नाम रतन प्लूटो हो गया है एवं तदनुसार एनओसी को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपके पत्र दिनांक 23.3.15 एवं राज्य ई.आई.ए. प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.10.13 में संशोधित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुए बोर्ड के पत्र सं0 एफ-57620/सी-1/एनओसी-965/2015 दिनांक 19.3.15 द्वारा जारी एनओसी के बिन्दु 1(क) पर परियोजना का नाम मै0 "रतन प्लूटो", जीएच-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा पढ़ा जाये, बिन्दु सं0 1(ख) पर बिल्टअप एरिया 60,293.59 वर्गमीटर, बिन्दु 1(घ) पर घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा 170 कि0ली0/दिन पढ़ा जाये। इसी प्रकार शर्त सं0-5 में परियोजना का नाम "रतन प्लूटो" एवं बिल्टअप क्षेत्रफल 60,293.59 वर्गमीटर पढ़ा जाये एवं शर्त सं0-6 को निम्नानुसार पढ़ा जाये :- "संस्था द्वारा प्रस्तावनुसार 170 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 195 कि0ली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा"। अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित अन्य समस्त शर्तें यथावत लागू होंगी।

भवदीय

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

F57620

पंजीकृत

संदर्भ संख्या.....सी-1/एन/एन0ओ0सी0-965/2015

दिनांक.....19-3-15

गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु

सेवा में,

मै0 रतन बिल्डटेक प्रा0लि0,
ए-128, सेक्टर-63,
नोएडा।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में~~
~~विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- "मै0 रतल प्लूटो" प्लॉट नं0 जीएच-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा।

(ख) उत्पादन:-प्रस्तावित 16863 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 90000 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:-बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:-.287 के0एल0डी0

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 250 के0वी0ए0 का 01 एवं 1010 के0वी0ए0 के 03 डी0जी0 सेट हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये।

h

यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. मै0 रतन बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मै0 रतल प्लूटो " जो 16863 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्डअप एरिया 90000 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 287 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 325 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
10. समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।
11. संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
12. संस्था नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
14. संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेंस की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।
18. परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।
19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेंचुरी के निकट इको सेन्सिटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सिटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

रतन बिल्डटेक प्रा०लि० द्वारा युप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मै० रतल प्लूटो "
प्लॉट नं० जीएच-०१डी, सेक्टर-१६, ग्रेटर नोएडा।

- 20- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्राक-एफ-५६७१८/सी-१/एन०ओ०सी०-९६५/२०१४, दिनांक ०३.३.१५ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०.६.१५ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


(जे०एस० यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०.

एन०ओ०सी०

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रमारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-१